

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 466] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 1970/पै 9, 1892

No. 466] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 1970/PAUSA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December 1970

S.O. 4102.—Whereas the Election Commission by its Notification No. 100/AS-HP/1/70(1), dated the 22nd December, 1970, had called upon 9-Tezpur Parliamentary constituency in the State of Assam to elect before the 5th February, 1971 a person to fill the vacancy in the House of the People caused by the resignation of Shri B. Bhagwati elected to the House from that constituency;

And whereas the President of India has dissolved the House of the People by Notification No. 37/2/70/T, dated the 27th December, 1970;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30, 56 and sub-section 1 of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 and all other powers enabling it in this behalf, read with section 21 of the General Clauses Act 1897, the Election Commission hereby cancels its Notifications No. 100/AS/HP/1/70(1), dated the 22nd December, 1970, No. 100/AS-HP/1/70(2), dated the 22nd December, 1970 and No. 100/AS-HP/1/70(3), dated the 22nd December, 1970 and all proceedings taken in pursuance of these Notifications.

[No. 100/AS-HP/1/70.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1970

एस० ओ० 4102.—यतः निर्वाचन आयोग ने, अपनी अधिसूचना सं० 100/असम/लो० सं० 1/70 (1), तारीख 22 दिसम्बर, 1970 द्वारा असम राज्य में 9—तेजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बी० भगवती के द्वारा त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण लोक सभा में हुई रिक्ति को भरने के लिए 5 फरवरी 1971 से पूर्व एक व्यक्ति निर्वाचित करने की अपेक्षा की थी,

और, यतः भारत के राष्ट्रपति ने अधिसूचना सं० 37/2/70 टी, तारीख 27 दिसम्बर 1970 द्वारा लोक सभा का विघटन कर दिया है ;

अतः, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30, 56 तथा धारा 149 की उप-धारा 1 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अपने को समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/असम-लो० सं० 1/70 (1), तारीख 22 दिसम्बर, 1970 सं० 100/असम-लो० सं० 1/70 (2), तारीख 22 दिसम्बर, 1970 और सं० 100/असम-लो० सं० 1/70 (3), तारीख 22 दिसम्बर, 1970 वाली अधिसूचनाओं को तथा उन अधिसूचनाओं के अनुसरण में की गई समस्त कार्यवाहियों को एतद्वारा रद्द करता है ।

[सं० 100/असम/लो० सं० 1/70]

आदेश से,

के० एम० राजगोपालन, सचिव ।